न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलियाआर.ए.एस.
प्रकरण सं0 177/2017दायर दिनांकः 14.12.2017

उनवान

1. नरेन्द्र आयु 47 वर्ष पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी ग्राम कवाई तहसील अटरू अटरू जिला बारां राज०

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 एवं 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बृजराज सिंह चौहान
प्रतिवादी :— पेरोकार सरकार

निर्णयदिनाकः28.08.2025

वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा88, 89, 90, 91, 92 एवं 188 आर0टी0एक्ट0का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम कवाई तहसील अटरू मे आराजी खसरा नं० 201 रकबा 0.54 हैक्टर स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज है। विवादित आराजी पर वादी का कब्जा उसके पिता के समय से व पूर्वजो के समय गत 50 वर्ष भी अधिक समय से निरन्तर चला आ रहा है तथा वादी उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवर्ष फसल बोता एवं काटता चला आ रहे है। वर्तमान में भी वादी ने इस वर्ष सरसो की फसल बोयी है जो खेत मे खडी है। वादी उक्त विवादित आराजी गत 50 वर्ष से भी अधिक समय से बिना रोके टोके के मोके पर निरन्तर कब्जा काश्त होने से वादी को उक्त विवादित आराजी पर हक मुखालपाना (एडवर्स पजेशन) प्राप्त हो गया है तथा वादी लम्बे कब्जे के आधार पर उक्त विवादित आराजी का स्वतः खातेदार कृषक बन गया है। अस्तु वादी विवादित आराजी को अपनी खातेदार मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी एंव नालिशी है। वादी ने कई बार श्रीमान के न्यायालय व राजस्व अधिकारियो से निवेदन किया लेकिन आज तक भी विवादित आराजी वादी की खातेदारी में दर्ज नहीं की है। प्रतिवादी, वादी के विरूद्ध धारा

91 एल.आर.ए. की कार्यवाही करता आ रहा है तथा वादी प्रतिवर्ष जुर्माना राज अदा करता आ रहा है। लेकिन दिनांक 30.11.2017 को प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारी/अधिकारी विवादित आराजी पर आये और वादी को धमकी दी कि यदि तूने इस विवादित आराजी को इस वर्ष काश्त किया तो हम तुझे जैल मे बन्द करवा देगें तथा तेरी फसल को नष्ट कर देगें तथा तुझे यह भूमि काश्त नही कर देगें तथा तुझे उक्त आराजी से बेदखल करके रहेगें। जिसका प्रतिवादी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। अस्तु वादी, प्रतिवादी के विरूद्ध अविलम्ब स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी एंव नालिशी है कि प्रतिवादी विवादित आराजी से वादी को बेदखल नही करे उसके विरूद्ध धारा 91 एल.आर.ए. की कार्यवाही नही करे तथा वादी को शांति पूर्वक विवादित आराजी पर काश्त करता रहने देवे। वाद कारण दिनांक 30–11–2017 को प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारियो/अधिकारियो द्वारा वादी को विवादित आराजी से बेदखल करने व धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही करने की धमकी देने पर बमुकाम कवाई तहसील अटरू मे पेदा हुआ। वाद पेश करने से पूर्व राज० सरकार जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर बारा को नोटिस धारा 80 सी० पी० सी० का अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित करवा दिया है, जिसकी मियाद अभी समाप्त नहीं हुई है। वाद आवश्यक प्रकृति का है। क्योकि प्रतिवादी वादी को विवादित आराजी पर जबरन बेदखल करने व वादीगण के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही करने पर आमादा है। इस कारण अविलम्ब न्यायालयी सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। अस्तु धारा 80 (2) सी.पी.सी. के आवेदन के साथ वाद पेश है। वाद का मूल्यांकन विवादित आराजी के लगान का 50 गुना कायम किया जाकर उचित न्याय शुल्क पर वाद अवधि मध्य पेश है। विवादित आराजी वाके ग्राम कवाई तह० अटरू में स्थित है इस कारण माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः वादी प्रार्थी है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय कि डिकी पारित फरमायी जावेः–

(क)मद नं० 1 वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजी वाके ग्रामकवाई तहसील अटरू मे आराजी खसरा नं0 201 रकबा 0.54 हैक्टर वादी को उक्त विवादित आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे वादीगण का नाम बतोर खातेदार कृषक अंकित किया जावे ।

(ख)प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावेकि विवादित आराजी वाके ग्राम कवाई तहसील अटरू मे आराजी खसरा नं०201 रकबा 0.54 हैक्टर पर वादी को शांति

पूर्वक काबिज काश्त बना रहने देवे उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं करे न अपने प्रतिनिधि व स्वजनो से करावे तथा वादी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.ए. की कार्यवाही नहीं करे ।

(ग)वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी कम 1 द्वारा जवाब पेश नही करने पर जवाब बन्द किया गया।

साक्ष्यवादी के तहत शपथ पत्र Pw1 नरेन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी कवाई तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया तथा सशपथ बयान लेखबद्व किए गए।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सूनी गई। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान कथन किया की ग्राम कवाई तहसील अटरू मे आराजी खसरा नं० 201 रकबा 0.54 हैक्टर राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज है। उक्त आराजी पर वादी का कब्जा उसके पिता के समय से व पूर्वजो के समय से गत 50 वर्ष से भी अधिक समय से निरन्तर चला आ रहा है तथा वादी उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवर्ष फसल बोता एवं काटता चला आ रहा है। वादी उक्त विवादित आराजी पर गत 50 वर्ष से भी अधिक समय से बिना रोक टोक के मोके पर निरन्तर कब्जा काश्त होने से वादी को उक्त विवादित आराजी पर हक मुखालपाना (एडवर्स पजेशन) प्राप्त हो गया है तथा वादी लम्बे कब्जे के आधार पर उक्त विवादित आराजी का स्वतः खातेदार कृषक बन गया है। अतः वादी को उक्त विवादित आराजी पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कवाई जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 (प्रदर्श–1) के अनुसार खाता संख्या नया 302 पुराना 269 का ख0नं0 201 का रकबा 0.54 है0 आराजी किस्म माल 1 धुल्या कान्या पि. भैरू कोम मीणा सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। नामान्तरण संख्या 1662 दिनांक 19.12.2016 न्यायालय आदेश से जर्ये इजराय से धुल्या कान्या पि. भैरू कोम मीणा सा0 देह के स्थान पर सिवायचक दर्ज करने का आदेश हुआ। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू के प्रकरण संख्या 139/2015 (प्रदर्श–2) निर्णय दिनांक 04.05.2016 से ग्राम व कवाई की विवादित आराजी खाता संख्या 195 के ख0नं0 201 रकबा 0.54 है0 को सिवायचक घोषित किया गया।

रसीद 91 एल0आर0एक्ट दिनांक 29.03.2017 (प्रदर्श–3) के अनुसार नरेन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण द्वारा धारा 91 एल0आर0एक्ट में जुर्माना जमा कराया गया है लेकिन प्रस्तुत रसीद अस्पष्ट है।

वाद के निर्णयन से पहले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की निम्नलिखित धाराओं को समझना आवश्यक है।

अधिकार की घोषणा के लिए वाद (धारा 88 आर0टी0 एक्ट) :–

1. अभिधारी या सह अभिधारी होने का दावा करने वाला व्यक्ति इस घोषणा के लिए कि वह अभिधारी है या ऐसी संयुक्त अभिधृति में अपने हिस्से की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।
2. खुदकाश्त अभिधारी इस घोषणा के लिए कि वह ऐसा अभिधारी है वाद ला सकेगा।
3. उप अभिधारी ऐसे व्यक्ति, जिससे वह भूमि धारण करता है, के विरूद्व इस घोषणा के लिए कि वह उप अभिधारी है वाद ला सकेगा।
4. राज्य सरकार से भिन्न कोई भू धारक किसी जोत के अभिधारी या सह अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप अभिधारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति के विरूद्व ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

अभिधृति के वर्ग आदि के वारे में वाद (धारा 89 आर0टी0 एक्ट) :–

अभिधृति के जारी रहने के दौरान किसी भी समय अभिधारी या राज्य सरकार से भिन्न भू धारक निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के बारे में घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

(क) वर्ग जिसका वह अभिधारी है।

(ख) जोत का क्षेत्रफल, उसके संख्यांकित भूखण्ड या उसकी सीमाएॅ।

(ग) जोत के बारे में संदेय लगान और नीति जिससे वह संदेय है।

(घ) लगान के नकद में संदेय होने की दशा में, तारीखे जिन पर और किश्ते जिनमें वह संदेय है।

(ड) लगान के वस्तुरूप में संदेय होने की दशा में, फसलों को आंकने, उनका बंटवारा करने या परिदान करने का समय स्थान और रीति।

(च) गैर खातेदार अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप अभिधारी की दशा में अवधि जिसके लिए अभिधृति जारी रहनी है तथा

(छ) कोई भी विशेष शर्तें जो इस अधिनियम से असंगत नही हों।

अन्य अधिकारों की घोषणा के लिए वाद (धारा 91 आर0टी0 एक्ट) :– विनिर्दिष्टतः अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त अपने सब अधिकारों या उनमें से किसी की, जिसके लिए अन्यथा रूप से उपबंध नही है, घोषणा के लिए कोई भी व्यक्ति वाद ला सकेगा।

कई जोतो के बारे में एक ही वाद (धारा 92 आर0टी0 एक्ट) :–यदि पक्षकार वे ही हो तो कई जोतो के बारे में धारा 88 या धारा 89 या धारा 90 के उपबन्धों के अधीन एक ही वाद संस्थित किया जा सकेगा।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 दोषपूर्ण बेदखली के विरूद्व व्यादेशः– कोई अभिधारी जिसकी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर से अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किए जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।

धारा 188 आर.टी.एक्ट के अधीन वाद में शाश्वत व्यादेश देने के पहले निम्न शर्तें साबित करनी आवश्यक है किः–

i- वादी विवादग्रस्त जोत का अभिधारी है।

ii- वाद फाइल करने की तारीख को वादी उस वाद भूमि पर काबिज है।

iii- वादी का उस जोत में से अधिकार या उपभोग कर प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण (अतिचार) किया गया है या आक्रमण करने का भय है।

वाद पत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 (प्रदर्श–P1) ग्राम कवाई पटवार हल्का कवाई तहसील अटरू के अनुसार खाता संख्या नया 302 पुराना 269 का ख0नं0 201 रकबा 0.54 है0 धुल्या कान्या पि. भैरू कोम मीणा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड थी तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू के प्रकरण संख्या 139/2015 निर्णय दिनांक 04.05.2016 के अनुसार ग्राम कवाई के ख0नं0 201 रकबा 0.54 है0 को सिवायचक घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू के प्रकरण संख्या 139/2015 में नरेन्द्र आयु 45 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी कवाई वादी के रूप में दर्ज है तथा उक्त उनवान के अध्ययन से स्पष्ट है कि पेरोकार सरकार ने कथन किया है कि वादी द्वारा (प्रकरण संख्या 139/2015) अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के विरूद्व किया है तथा वादी ने आराजी को सिवायचक करने का विकल्प भी स्वीकार किया है। अतः आराजी को सिवायचक घोषित किया

जाना न्यायोचित होगा। प्रकरण संख्या 139/2015 का वादी नरेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी कवाई तहसील अटरू है तथा वर्तमान प्रकरण संख्या 177/2017 में भी वादी नरेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी कवाई तहसील अटरू है।

पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का अध्ययन करने पर निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैः—

- वादी विवादित आराजी पर स्वयं का सम्वत 2012 से लगातार कब्जा साबित करने में असफल रहा है।
- वादी स्वयं के पक्ष में विवादित आराजी का स्वयं के पक्ष में आवंटन होने को साबित करने में असफल रहा है।

वादी ने वाद पत्र की मद नं0 3 में स्वयं का विवादित आराजी ग्राम व माल कवाई जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 खाता संख्या नया 302 पुराना 269 का ख0नं0 201 का रकबा 0.54 है0 पर लगातार कब्जा होने के कारण खातेदारी अधिकार चाहा है।

उपरोक्त विवरण व विश्लेषण व दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर ग्राम व माल कवाई जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 खाता संख्या नया 302 पुराना 269 का ख0नं0 201 का रकबा 0.54 है0 आराजी के संबंध में वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

—ःक्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर विवादित आराजी ग्राम व माल कवाई जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 खाता संख्या नया 302 पुराना 269 का ख0नं0 201 का रकबा 0.54 है0 के संबंधमें वादी का वाद खारिज फरमाया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 177/2017 **दायर दिनांकः 14.12.2017**

उनवान

1. नरेन्द्र आयु 47 वर्ष पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी ग्राम कवाई तहसील अटरू अटरू जिला बारां राज०

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 एवं 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–
वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री बृजराज सिंह चौहान

मिनजानित मुदई रूबरू .....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम व माल कवाई जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या नया 302 पुराना 269 का ख0नं0 201 का रकबा 0.54 है0 के संबंध में वादी का वाद खारिज फरमाया जाता है।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....ऱ..... मुबालिक .....ऱ..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....ऱ..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....ऱ..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 28.08.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)